छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

रायपुर, दिनांक 06/12/2012

क्रमांक 2032/पंग्राविवि/22/SLNA/12 : भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक Z-11011/11/2010-PPC दिनांक 11.10.2011 में वाटरशेड परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 की व्यापक संशोधन सूची (22.09.2011 तक) के प्रस्तर–44 अनुसार, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 53(1) में निहित शर्तो के अध्यधीन, ग्राम पंचायतों को निम्न शक्तियाँ विनिर्दिष्ट करता है :–

I. पंचायतराज अधिनियम की धारा 52 में सौंपे गये कृत्यों के अंतर्गत जिला पंचायत, जलग्रहण कार्य हेतु शासन द्वारा विहित की जाने वाले प्रक्रिया अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) का दायित्व निर्वहन करेंगी।

II. ग्राम पंचायत के नियंत्रण में वाटरशेड समिति, ग्राम पंचायत की उपसमिति के रूप में गठित की जावेगी। इसका अस्तित्व ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों से भिन्न होगा।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट शक्तियों के अनुक्रम में पंचायतों द्वारा जलग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय व्यवस्था नीचे लिखे अनुसार होगी :–

1. IWMP परियोजनाओं के चिन्हांकित माइक्रो वाटरशेड क्षेत्र में वाटरशेड समिति, ग्राम पंचायत के निर्वाचित पचों के समूह की एक उपसमिति होगी।
2. इस प्रकार गठित उपसमिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। ग्राम पंचायत के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन समिति तथा वन समिति के अध्यक्ष इस उपसमिति के पदेन सदस्य होंगें। इसके अतिरिक्त माइक्रो वाटरशेड क्षेत्र के वार्ड/वार्डो के पंच भी इस समिति के सदस्य होंगें। यह उपसमिति संबंधित जलग्रहण परियोजना के परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के प्रति उत्तरदायी होगी।
3. इस उपसमिति में ग्राम के स्व–सहायता समूह (SHG) एवं भूमिहीन व्यक्तियों के एक–एक प्रतिनिधियों को ग्राम सभा की पूर्ण गणपूर्ति वाली बैठक में सहयोजित किया जावेगा। ऐसे सहयोजित सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा। उपसमिति में किसी विषय पर मत भिन्नता होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।
4. वाटरशेड समिति के संचालन हेतु एक पृथक मानदेयी सचिव नियुक्त होगा, जो ग्राम पंचायत सचिव से भिन्न होगा। यह एक समर्पित कार्यकर्ता होगा, जिसके पास वाटरशेड समिति के कार्य के अलावा अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

क्रमशः..2.....

5. जलग्रहण परियोजनाओं के लिए जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC)/ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) से प्राप्त होने वाली राशि के लिए वाटरशेड समिति का एक पृथक बैंक खाता होगा। सरपंच सह अध्यक्ष वाटरशेड समिति एवं सचिव वाटरशेड समिति संयुक्त हस्ताक्षरी से खाते को संचालन होगा। इसका लेखा पृथक से संधारित किया जायेगा एवं इस पर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम–1999 लागू होगा।

6. वाटरशेड समिति के माध्यम से परियोजनांतर्गत आस्थामूलक कार्य, जलग्रहण विकास कार्य, क्षमतावर्धन, आजीविका एवं उत्पादन प्रक्रिया, सूक्ष्म उद्यम से संबंधित गतिविधियॉ, सचिव वाटरशेड समिति के मानदेय संबंधी व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय की गतिविधियाँ संपन्न की जायेगी।

7. उपसमिति को जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित संरचनाओं के रख–रखाव हेतु जलग्रहण विकास निधि के ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत समुचित उपयोग का अधिकार होगा।

यह आदेश IWMP परियोजनांतर्गत वर्ष 2012–13 की अवधि एवं उसके बाद के स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में लागू होगा।

(छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार)

5/12/12

(धनंजय देवांगन)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 2033/पंग्राविवि/22/SLNA/12 रायपुर, दिनांक 06/12/2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर,
3. आयुक्त, पंचायत, रायपुर,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA, विकास भवन, रायपुर,
5. संभागीय आयुक्त, राजस्व संभाग–समस्त, छ.ग.
6. समस्त–कलेक्टर, जिला समस्त, छ.ग.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, छ.ग.।
8. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्त, छ.ग.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–समस्त, छ.ग.।

5/12/12

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग